ज़रूरतमंद के लिए सुरक्षित रक्त की व्यवस्था

एक टिप्पणी

किसी भी स्वास्थ्य तंत्र का एक अहम घटक है बेहतर ढंग से संगठित रक्त संचारण सुविधा। रक्त के ज़रिए रोगों का फैलाव रोकने और लोगों तक पर्याप्त रक्ताधान की सुरक्षित सेवाएं पहुंचाने के लिए एक समेकित रणनीति दरकार है। समेकित रणनीति के मुख्य घटकों में शामिल हैं - केवल स्वैच्छिक दाताओं से खून लेना, रक्त के माध्यम से फैलने वाले सभी संक्रमणों की जांच और खून चढ़ाने के गैर ज़रूरी मामलों में कमी लाना।

देश की रक्त संचारण सेवा बेहद विकेंद्रित है और इसमें कई अहम संसाधनों का अभाव है। जैसे मानव संसाधन, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक आधार। कई बड़े अस्पताओं और नर्सिंग होम्स के अपने ब्लड बैंक नहीं हैं। इसी का नतीजा है निजी अलग-थलग पड़ गए ब्लड बैंकों का फैलाव। रक्त के घटकों का उत्पादन/उपलब्धता और उनका इस्तेमाल बेहद सीमित है। प्रशिक्षित कर्मियों की भी बेहद कमी है।

रक्त और रक्त उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और कारगरता के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित मानव संसाधन वाले, ज़रूरी उपकरणों से सुसज्जित रक्त केंद्रों की दरकार है। रक्त के कारगर इस्तेमाल के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित करना ज़रूरी है। सुरक्षा के लिए उत्पादन के बेहतर तरीके और गुणता व्यवस्था लागू करने की ज़रूरत है।

इन सबके मद्दे नज़र एक राष्ट्रीय रक्त नीति बनाना अनिवार्य हो गया था। इसमें एक ऐसा राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रम विकसित करना ज़रूरी है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप हो। अप्रैल 2002 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय रक्त नीति को अनुमोदित किया।

इस नीति का उद्देश्य है अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित रक्त की पर्याप्त और सुगम सप्लाई सुनिश्चित करना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्त प्राप्त करने के लिए उपकरणों से सुसज्जित व रोग संक्रमणों से मुक्त स्थान तैयार करना। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रक्त का भण्डारण और परिवहन उचित स्थितियों में हो। नीति से यह सुनिश्चित होगा कि सभी ज़रूरतमंदों को प्रशिक्षित व्यक्तियों के पर्यवेक्षण में रक्ताधान की उपयुक्त सुविधा प्राप्त हो।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन राष्ट्रीय रक्त नीति की तर्ज़ पर रक्त संचारण कार्यक्रम शुरू करेगा। इस कार्यक्रम के मुख्य तत्व होंगे -

1. रक्त संचारण सेवाओं को एक समन्वित प्रबंध मॉडल की ओर ले जाना।
2. ज़रूरत और सप्लाई के बीच तालमेल।
3. स्वैच्छिक रक्तदान के लिए स्थल तय करना।
4. रक्त के तर्कसंगत इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना।
5. सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
6. मानव संसाधन विकसित करना।
7. शोध और विकास

यह नीति उद्देश्यों को अमली जामा पहनाने की बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। कार्ययोजना का क्रियान्वयन कई सारे संगठनों और लोगों की संयुक्त ज़िम्मेदारी है। रक्त बैंकों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना सम्बंधित राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। इस कार्य योजना के लिए सरकारी विभागों और विश्वविद्यालयों, आई.सी.एम.आर., आई.एम.ए., गैर सरकारी संगठनों के बीच तालमेल के अलावा वैधानिक ढांचे में संशोधन और टेक्नॉलॉजी का अपग्रेडेशन भी ज़रूरी है। राज्य में क्रियान्वयन की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य रक्त संचारण परिषद् की होगी। राष्ट्रीय परिषद् केंद्रीय स्तर पर समन्वय का कार्य करेगी। *(स्रोत विशेष फीचर्स)*

रक्त सुरक्षा की बातें

- स्वैच्छिक दान और विवेकपूर्ण इस्तेमाल के ज़रिए, सुरक्षित रक्त की उपलब्धता को अधिकतम बनाना।
- रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करने हेतु रक्त घटकों को विलग करने की 80 सुविधाएं स्थापित करना।
- ज़िले में कम से कम एक आधुनिक रक्त बैंक बनाना।
- पिछड़े क्षेत्र में 10 रक्त बैंक स्थापित करना।